



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 676]

नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 26, 2016/आश्विन 4, 1938

No. 676]

NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 26, 2016/ASVINA 4, 1938

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 सितम्बर, 2016

सं. 42/2016-सेवा कर

सा.का.नि. 914(अ).—जहांकि, केन्द्र सरकार इस बात से संतुष्ट है कि पहली जुलाई, 2012 से प्रारम्भ होने वाली तथा 20 अक्टूबर, 2015 को समाप्त होने वाली अवधि (एतश्मिन पश्चात् जिसे उक्त अवधि से संदर्भित किया गया है) में, उस समय सामान्यतः प्रचलित प्रथा के अनुसार, उन योग की उन्नत करने की सेवाएं पर कोई सेवा कर नहीं लगाया जाता था जो कि आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 12 कक के अंतर्गत पंजीकृत संस्थाओं द्वारा प्रदान की जाती थी और उक्त अवधि में इस सेवा पर सेवा कर लगाया जा सकता था, लेकिन उक्त प्रथा के कारण नहीं लगाया जा रहा था।

अतः अब, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 11 ग, वित्त अधिनियम, 1994 (1994 का 32) की धारा 83 के साथ पठित, के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, एतद्वारा, निर्देश देती है कि आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 12 कक के अंतर्गत पंजीकृत संस्थाओं द्वारा, जो योग की उन्नत करने की सेवायें प्रदान की जाती थी, उन पर वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 66ख के अंतर्गत उक्त अवधि में जो सेवा कर उक्त प्रथा के चलते नहीं लगाया जा सका था, उसके भुगतान करने की जरूरत नहीं है।

[फा. सं. 137/37/2016-सेवा कर]

राजीव यादव, निदेशक

MINISTRY OF FINANCE**(Department of Revenue)**

(CENTRAL BOARD OF EXCISE AND CUSTOMS)

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th September, 2016

No. 42 /2016-Service Tax

G.S.R. 914(E).—Whereas, the Central Government is satisfied that in the period commencing on and from the first day of July, 2012 and ending with the 20th day of October, 2015 (hereinafter referred to as the said period) according to a practice that was generally prevalent, there was non-levy of service tax on the services by way of advancement of Yoga provided by entities registered under section 12AA of Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) and this service was liable to service tax, in the said period, which was not being paid according to the said practice.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 11C of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944), read with section 83 of the Finance Act, 1994 (32 of 1994), the Central Government hereby directs that the service tax payable under section 66B of the Finance Act, 1994, on the service by way of advancement of Yoga provided by entities registered under section 12AA of Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) in the said period, but for the said practice, shall not be required to be paid.

[F. No. 137/37/2016-Service Tax]

RAJEEV YADAV, Director